"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 294] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर 2010—कार्तिक 21, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 नवम्बर, 2010 (कार्तिक 21, 1932)

अधिसूचना

क्रमांक-11037/वि. स./विधान/2010.— राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 12 नवम्बर, 2010 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मैं, शेखर दत्त, राज्यपाल, छत्तीसगढ़, एतद्द्वारा इस राज्य की विधान सभा को सोमवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2010 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से विधान सभा भवन, रायपुर में समवेत् होने के लिये आमंत्रित करता हूं.

स्थान : रायपुर
दिनांक :12 नवम्बर, 2010

शेखर दत्त
राज्यपाल, छत्तीसगढ़."

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.